दिनांकः 17.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर / हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अपराधी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, जिलाबदर / हिस्ट्रीशीटर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 जिलाबदर / हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त **ओमबीर पुत्र बनवारी निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एंव राजस्व सहारनपुर द्वारा वाद संख्या 6654/24 में दिनाकं 20.02.2025 को 06 माह के लिये जिलाबदर किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 –56/2025 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ओमबीर पुत्र बनवारी निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त ओमबीर का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 45/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 61/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3.मु0अ0स0 100/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4.मु0अ0स0 183/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5.मु0अ0स0 236/16 धारा 60/72 आबकारी अधि0 व 420 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6.मु0अ0स0 33/09 धारा 294 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3.का0 2028 प्रवीन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 17.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमें मे वांछित 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 48 सरिये के टुकड़े व 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनाक 17.04.25 को वादी श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह नि0 1516 सुरज विहार मुजफ्फरनगर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. जोनी व 2. अजय पुत्रगण अज्ञात निवासीगण अज्ञात द्वारा नवसर्जित तहसील मे अवासीय भवनो मे चल रहे निर्माण कार्य स्थल से सरिया व 01 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण व चोरी किए गए माल की बरामदगी के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्तगण 1. अजय पुत्र जयपाल निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर व 2. शुभम उर्फ जोनी पुत्र मामेश सिंह निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर** को निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के अण्डरपास के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये सरिये के 48 टुकडे व 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्व अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर मे बताया कि दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि को हम दोनो ने मिलकर तहसील परिसर जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ से कुछ सरियो के टुकडे व पास में ही रखे एक मोबाईल फोन चोरी किया था। आज जब हम चोरी किये गए सामान को बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अजय पुत्र जयपाल निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. शुभम उर्फ जोनी पुत्र मामेश सिंह निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0244/2015 धारा 41/102 द0प्र0सं0 414/420/467/468/471 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0090/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 0315/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0204/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

5. मु0अ0सं0 0210/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 0236/2023 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 0437/2023 धारा 380/411/454 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 0004/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 0089/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 0437/2024 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- सरिये के 48 टुकडे
- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र तोमर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 2365 गोपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

दिनांक: 17.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबरि की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **रियाज पुत्र शाहादत निवासी मौ0 कायस्थवाडा निकट लाल फर्स थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को बी -1 सिटी कालोनी कस्बा व थाना देवबंद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 210/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस ने जो चाकू मुझसे बरामद किया है उसे मैं लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रियाज पुत्र शाहादत निवासी मौकायस्थवाडा निकट लाल फर्स थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 0

बरामदगी –

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- है0का0 1088 रवि कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर

2- का0 1009 विकास कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर

दिनांक: 17.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/वाहन चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वाहन चोर **अभियुक्त शाकिब पुत्र शफीक नि0 नई बस्ती कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को ग्राम माजरी से कैलाशपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटरसाइकिल अपाचे रंग सफेद UP11AV 4417 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 58/2025 धारा 317(5),336(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण: – अभियुक्त शाकिब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने काफी दिनो पहले सहारनपुर के एक व्यक्ति से 5000/- रुपये मे खरीदी थी और उस व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड भी दिया था लेकिन उसका आधार कार्ड मुझसे कही खो गया है उसने मुझे यह कहकर कि मोटरसाइकिल कागजात नही है, इसलिये मै तुम्हे सस्ते में दे रहा हूँ मै लालच में आ गया था इसके बाद मैने सडक पर जाती एक अपाचे का मोटरसाइकिल का नम्बर नोट नम्बर प्लेट बनवा ली थी और इस मोटरसाइकिल पर लगा कर चला रहा हूँ। आज मोटरसाइकिल लेकर गागलहेड़ी से सामान लेने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिब पुत्र शफीक निवासी नई बस्ती कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 फर्जी नम्बर प्लेट लगी अपाचे मोटरसाइकिल सफेद रंग UP11AV 4417

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 2174 ज्ञानेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 2164 जसवन्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:17.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँवसहारनपुर पुलिस द्वारा , वारण्टी 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वाँछित वारण्टी अभियुक्तों/की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष बडगांव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम घिसरपडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को वाद संख्या 2021/503धारा एनआई 138एक्ट थाना बडगांव में सम्बन्धित मा0 न्यायालय सिविल जज जू/(0डी0जे 0एम0 देवबन्द सहारनपुरमें ग्राम घिसरपडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः -

दीपक कुमार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम घिसरपडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर। 0नि0
3. कां दीपक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर। 612 0

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गोदाम से मोबाइल फोन व पैसे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोर अभियुक्त सहित चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 02 मोबाइल फोन व 5210/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2025 को वादी श्री प्रहलाद पुत्र उदयराम जाट निवासी अलावलपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के गोदाम में खडी गाडी से दो मोबाइल फोन 1. VIVO, 2. Realme सी-35 तथा लगभग 9500/- रुपये चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 77/25 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नकबजन अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त वादी के गोदाम से मोबाइल फोन व पैसो की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी में 01 वांछित चोर/**अभियुक्त साहिल उर्फ बन्दा पुत्र अफजाल नि0 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** तथा चोरी का माल खरीदने वाले कबाडी/**अभियुक्त शाकिर पुत्र शराफत नि0 खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार** को चोरी के दोनो मोबाइल फोन तथा 5210/- रुपये नकद सहित देहरादून रोड़ पर संत निरंकारी भवन से आगे आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त साहिल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कबाड़ा चुगने का काम करता हूँ और शाकिर को मैं पहले से जानता हूँ। शाकिर देहरादून रोड पर कबाडे की दुकान करता है और मैं कबाडे एवं चोरी का सामान इसे बेच देता हूँ। दिनांक 15/16.04.2025 की रात्रि दो मोबाईल व 9500 रूपये मैने अलावलपुर रोड पर गोदाम मे खड़ी एक गाड़ी से चोरी किये थे और मैं चोरी किये मोबाईल को बेचने के लिये शाकिर के पास गया और बताया कि मैने रात्रि में गोदम में खड़ी गाड़ी से दो मोबाईल व 9500 रूपये चोरी किये है आप दोनो मोबाईलो को खरीद लो तो शाकिर ने कहा कि मैं एक मोबाईल खरीद सकता हूँ और मेरे पास अभी पैसे नही और पैसे भी बाद में दूंगा और कबाड़ खरीदने के लिये मुझे 3000/- रूपये की आवश्यकता है तो मैने चोरी किये रूपये में 3000/- रूपये व 01 मोबाइल फोन शाकिर को दे दिये था। आज हम दोनो आम के बाग में बैठकर चोरी के रूपयो व मोबाईल फोन का हिसाब कर रहे थे कि तभी आप लोगो ने हमको पकड़ लिया। चोरी किये रूपयो में से मेरे पास 3500 रूपये बचे थे बाकी मैने 3000 रूपये शाकिर को दे दिये थे तथा शेष रूपये मुझसे खर्च हो गये थे। ये जो 3500 रूपये व मोबाईल मुझसे बरामद हुआ है यह वही चोरी का मोबाईल है और बचे हुये 3500 रूपये है।

कबाड़ी शाकिर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहिल अकसर मेरे पास कबाड़ का समान व चोरी का सामान बेचने के लिये आता रहता है मैं इसको पहले से जानता हूँ। मुझसे जो 01 मोबाइल फोन व 1710 रूपये बरामद हुये है। बाकी रूपये मुझसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. साहिल उर्फ बन्दा पुत्र अफजाल नि0 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. शाकिर पुत्र शराफत नि0 खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार

बरामदगी का विवरण-

01 अदद वीवो V2029 कम्पनी का मोबाइल

01 अदद रियल मी C35 कम्पनी का मोबाइल

5210/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. का0 2214 कुमर पाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर